भाग 'क'

राजस्व क्षेत्र

अध्याय-1

सामान्य

अध्याय-1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2017-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सृजित कर और गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय तथा राज्य को सौपें गए शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों और पूर्व चार वर्षों के संबंधित आंकड़े **तालिका-1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	कर राजस्व	6,272.74	6,333.95	7,326.19	7,819.13	9,536.40
	गैर-कर राजस्व	2,869.69	1,978.05	3,912.79	4,072.19	4,362.34
	कुल	**9,142.43**	**8,312.00**	**11,238.98**	**11,891.32**	**13,898.74**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	विभाज्य संघीय करों और शुल्कों की निवल आय में हिस्सेदारी	4,142.10	4,477.23	7,813.48	9,488.60	11,911.65
	सहायता अनुदान	13,843.45	16,149.36	16,728.14	20,598.55	22,701.49
	कुल	**17,985.55**	**20,626.59**	**24,541.62**	**30,087.15**	**34,613.14**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**27,127.98**	**28,938.59**	**35,780.60**	**41,978.47**	**48,511.88**
4.	**1 से 3 का प्रतिशत**	**34**	**29**	**31**	**28**	**29**

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2017-18)

2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति **चार्ट-1.1** में दर्शायी गई है।

चार्ट-1.1

(₹ करोड़ में)

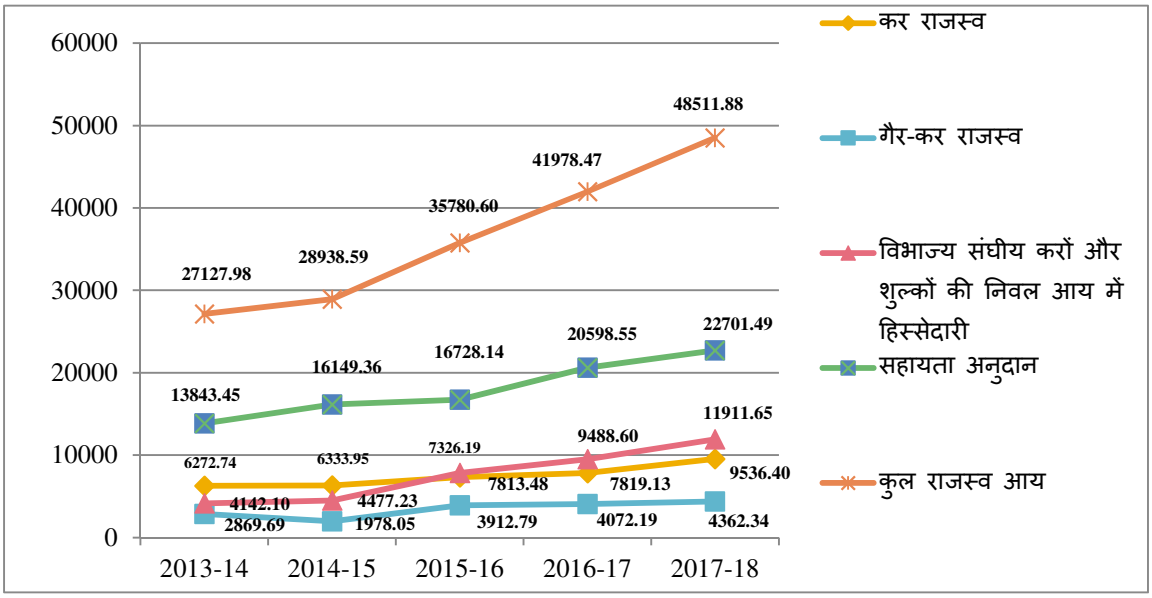

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य की समग्र प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 15.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹13,898.74 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष में 28 प्रतिशत के प्रति कुल राजस्व प्राप्तियों का 29 प्रतिशत था। 2017-18 के दौरान प्राप्तियों का शेष 71 प्रतिशत भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त था, जिसमें 65.59 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था। भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्तियों में राज्य की कुल प्राप्तियों का 46.79 प्रतिशत हिस्सा शामिल था।

1.1.2 वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2: सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर, जीएसटी सहित	4,578.81	4,601.52	5,276.54	6,011.98	7,104.37	(+) 18.17
2	माल और यात्रियों पर कर	565.53	557.81	666.21	747.88	852.62	(+) 14.00
3	राज्य उत्पाद शुल्क	440.06	466.08	532.82	569.26	833.16	(+) 46.36
4	विद्युत पर कर और शुल्क	276.94	313.40	428.87	89.94	179.20	(+) 99.24
5	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	260.68	247.98	264.23	227.62	307.43	(+) 35.06
6	वाहनों पर कर	134.23	132.34	145.15	149.71	228.11	(+) 52.37

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
7	भूमि राजस्व	15.97	14.58	12.18	16.89	29.07	(+) 72.11
8	अन्य	0.52	0.24	0.19	5.85	2.44	(-) 58.29
	कुल	**6,272.74**	**6,333.95**	**7,326.19**	**7,819.13**	**9,536.40**	

(स्रोत: राज्य बजट 2018-19 और वित्तीय लेखे 2017-18)

चार्ट-1.2 में विभिन्न कर राजस्वों की वर्ष-वार प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

चार्ट-1.2

(₹ करोड़ में)

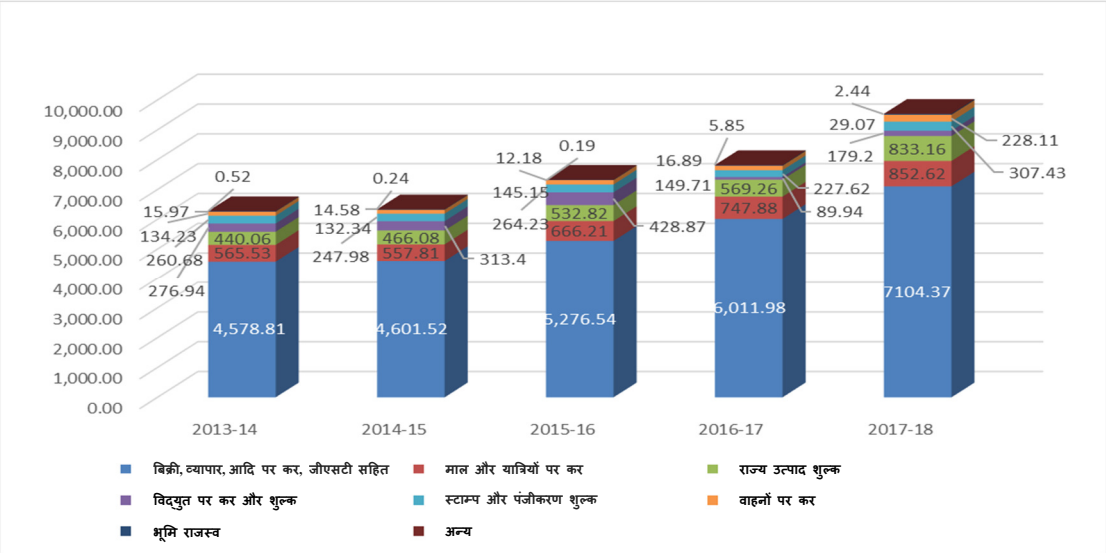

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि 14 प्रतिशत से 99.24 प्रतिशत के बीच में थी जो 'वस्तुओं और यात्रियों पर कर', 'राज्य वस्तु और सेवा कर सहित बिक्री, व्यापार पर कर इत्यादि', स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क 'वाहनों पर कर', 'भूमि राजस्व' और 'विद्युत पर कर और शुल्क' शीर्षों के अंतर्गत था।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 'अन्य' शीर्ष के तहत लगभग 58.29 प्रतिशत की गिरावट रही थी। गिरावट मुख्य रूप से 'वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों (मनोरंजन कर[1])' के तहत थी, जिसे 8 जुलाई 2017 से जीएसटी के तहत शामिल कर लिया गया है।

संबंधित विभागों ने 2016-17 की तुलना में 2017-18 में राजस्व बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

[1] 2016-17 के दौरान मनोरंजन कर ₹5.85 करोड़ था, जो 2017-18 के दौरान घटकर ₹2.44 करोड़ रह गया

बिक्री, व्यापार, आदि पर कर: वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन, नई कर व्यवस्था के तहत कुछ करों[2] के सम्मिलन, बेहतर निगरानी और कर आधार में वृद्धि के कारण हुई थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: जीएसटी लागू होने के बाद 31.5 प्रतिशत की दर से लाइसेन्स धारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के शराब उत्पादों की बिक्री पर अतिरिक्त निर्धारण शुल्क की वसूली के कारण वृद्धि हुई, जो पहले वैट के तहत एकत्र की जाती थी।

बिजली पर कर और शुल्क: वृद्धि मुख्य रूप से बेहतर निगरानी और केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से बिजली की बुनियादी संरचना में सुधार के कारण हुई थी।

स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क: वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा अधिसूचित संपत्ति की बाजार दरों में वार्षिक वृद्धि और पंजीकरण की संख्या में वृद्धि के कारण हुई थी।

वाहनों पर कर: वृद्धि मुख्य रूप से वाहनों[3] के पंजीकरण में वृद्धि और विभिन्न प्रकार के वाहनों के शुल्क/ करों[4] की दरों में संशोधन के कारण हुई थी।

भूमि राजस्व: वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व सारांशों को जारी करने और *चौकीदारी उपकर* के संग्रह में वृद्धि के कारण हुई थी, जो लंबे समय से देय थी।

1.1.3 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान सृजित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.3** में इंगित किया गया है।

तालिका-1.3: सृजित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1	विद्युत	1,533.09	1,427.73	1,477.22	2,770.24	3,150.94	(+) 13.74
2	वानिकी और वन्य जीवन	67.90	70.85	67.84	14.40	18.12	(+) 25.83
3	पुलिस	56.75	19.97	34.11	67.63	32.70	(-) 51.65
4	अलौह, खनन और उद्योग	53.35	48.50	57.23	42.74	47.46	(+) 11.04
5	जल आपूर्ति और स्वच्छता	38.03	36.90	45.77	51.99	93.07	(+) 79.02
6	लोक निर्माण कार्य	23.57	23.13	27.55	21.14	47.96	(+) 126.87
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	15.70	22.69	22.53	21.86	26.02	(+) 19.03
8	ब्याज प्राप्तियाँ	12.80	13.58	96.35	18.62	19.44	(+) 4.40
9	अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	1,068.50	314.70	2,084.19	1,063.57	926.63	(-) 12.88
	कुल	**2,869.69**	**1,978.05**	**3,912.79**	**4,072.19**	**4,362.34**	

(स्रोत: राज्य बजट 2018-19 और वित्तीय लेखे 2017-18)

---

2 मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, एन्ट्री कर, सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उदगृहीत सेवाओं पर कर और मनोरंजन कर

3 वाहनों के नए पंजीकरण में 2016-17 के दौरान 1,22,638 से 2017-18 के दौरान 1,69,243 तक वृद्धि हुई

4 पंजीकरण प्रभारों में ₹200 से ₹600, व्यापार प्रमाण पत्र में ₹200 से ₹500, आयातित मोटर वाहनों में ₹800 से ₹5000 इत्यादि की वृद्धि हुई

चार्ट-1.3 में विभिन्न गैर-कर राजस्वों का वर्ष-वार रुझान दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3

(₹ करोड़ में)

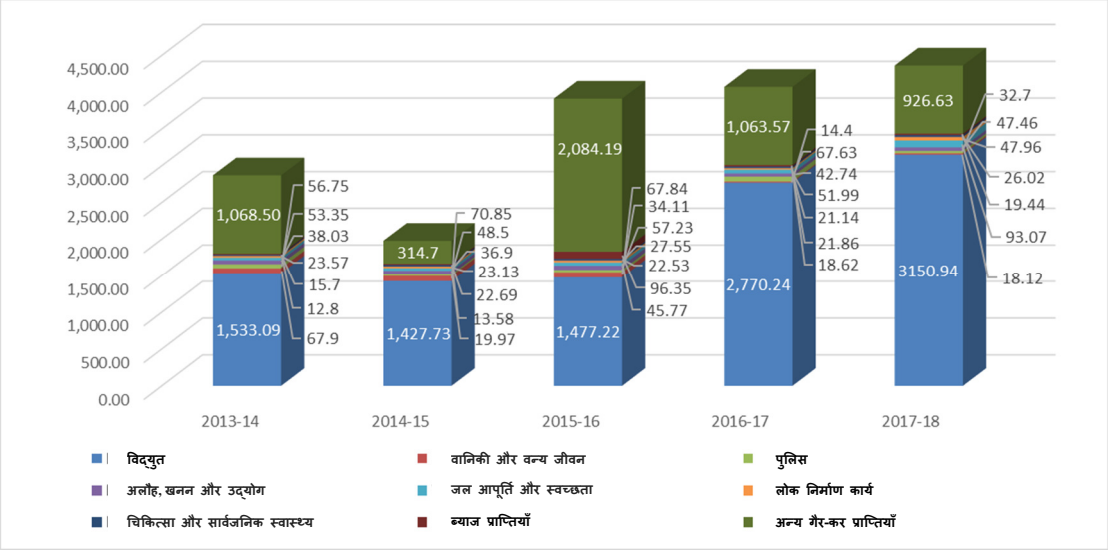

ब्याज प्राप्तियों, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, बिजली, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, वानिकी और वन्य जीवन, जल आपूर्ति और स्वच्छता और सार्वजनिक निर्माण कार्यों से वास्तविक संग्रहण में 4.40 प्रतिशत और 126.87 प्रतिशत के बीच की वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त, 'पुलिस' और 'अन्य गैर-कर प्राप्तियां' शीर्षों के तहत प्राप्तियों में 12.88 प्रतिशत और 51.65 प्रतिशत के बीच गिरावट रही थी।

संबंधित विभागों ने पिछले वर्ष के संबंध में 2017-18 में राजस्व में वृद्धि/ कमी के निम्नलिखित कारण बताए:

विद्युत: वृद्धि मुख्य रूप से बेहतर निगरानी और केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं[5] के कार्यान्वयन के माध्यम से बिजली की बुनियादी संरचना में सुधार के कारण हुई।

वानिकी और वन्य जीवन: वृद्धि मुख्य रूप से अधिक निष्कर्षण, लघु वन उत्पादों की बिक्री और अन्य प्राप्तियों, पेड़ों की अधिक नीलामी/ नर्सरी से पौधों की बिक्री आदि के कारण हुई।

जल आपूर्ति और स्वच्छता: वृद्धि मुख्य रूप से जल की टैरिफ दरों में संशोधन और नए कनेक्शनों को नियमित करने/ शामिल करने के कारण हुई।

लोक निर्माण कार्य: वृद्धि मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए विभिन्न दूरसंचार एजेंसियों से एजेंसी शुल्क में वृद्धि के कारण हुई थी।

5 जैसे आरएपीडीआरपी-बी, पीएमडीपी, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, एसएयूबीएचएजीवाईए आदि

चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य: वृद्धि मुख्य रूप से रोगियों की संख्या में वृद्धि/ परीक्षण/ जांच की संख्या में वृद्धि के अलावा, पार्किंग अनुबंध/ कैंटीन और चिकित्सा दुकानों के किराए/ निजी नर्सिंग होम/ प्रयोगशालाओं के पंजीकरण शुल्क में संशोधन, अनुपयोगी मदों की नीलामी, ड्रग्स और खाद्य नियंत्रण संगठन के तहत अधिक दुकानों के कवरेज में वृद्धि के कारण हुई।

अलौह, खनन और उद्योग: राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज कार्यालयों की स्थापना के कारण वृद्धि हुई, जिसके कारण उचित निगरानी, निष्कर्षण के पर्यवेक्षण, जब्ती के साथ अवैध निष्कर्षणों की जाँच और अपराधों के शमन के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया।

पुलिस: गिरावट मुख्य रूप से स्थानीय निकायों/ अन्य संगठनों से कम प्राप्तियों और राज्य में हवाई अड्डों पर प्रदान किए गए पुलिस सेवा प्रभारों के प्रति एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से प्राप्त प्रतिपूर्ति दावों में देरी के कारण आई थी।

1.2 राजस्व बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों पर 31 मार्च 2018 तक राजस्व की बकाया राशि ₹1,566.94 करोड़ थी, जिसमें ₹844.75 करोड़ पाँच साल से अधिक अवधि से बकाया थे, जैसा कि **तालिका-1.4** में वर्णित है।

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के शीर्ष	दिनांक 31 मार्च 2018 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2018 तक पाँच वर्षों से अधिक अवधि की बकाया राशि	विभाग के जवाब
1.	बिक्री/ वैट, व्यापार आदि पर कर	1,410.41	781.68	विभाग ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे डिमांड का नोटिस जारी करना (दस्तक), मेमो जारी करना, बैंक खातों को जब्त करना और उसके बाद अचल संपत्ति की कुर्की करना, इसके अलावा, बकाया की वसूली सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए।
2.	यात्री कर	22.01	15.78	
3.	मोटर स्पिरिट कर	0.09	0.09	
4.	मनोरंजन कर	0.21	0.21	कुल बकाया राशि में से, न्यायालय/ अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा ₹45.36 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी गई है। हालाँकि, ₹2.08 करोड़ की वसूली योग्य बकाया के लिए भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
5.	चुंगी कर	28.24	28.00	
6.	राज्य उत्पाद शुल्क	18.99	18.99	
7.	वाहनों पर कर	86.99	विभाग के पास समय-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है	इन बकाया के संबंध में विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई थी।
कुल		**1,566.94**	**844.75**	

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

1.3 निर्धारणों में बकाया राशि

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण, जोकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बिक्री कर/ वैट और निर्माण कार्य संविदाओं पर कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए थे, **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5: निर्धारणों में बकाया राशि

राजस्व के शीर्ष	आदि शेष	वर्ष 2017-18 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल निर्धारण देय	वर्ष 2017-18 के दौरान मामलों का निस्तारण	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉ. 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री कर/ वैट	12,002	15,668	27,670	18,679	8,991	68
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	30,256	36,320	66,576	17,925	48,651	27

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

निर्धारण के लिए देय कुल मामलों में से, बिक्री कर/ वैट के संबंध में केवल 68 प्रतिशत और निर्माण कार्य संविदा पर कर के 27 प्रतिशत निर्धारण मामले पूरे किए गए थे। विभागों द्वारा 2017-18 के दौरान कम निर्धारणों के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी (मार्च 2019), यद्पि यह कारण मांगे गए थे।

सरकार लंबित आवधिक रूप से निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा तय करने पर विचार करे और निर्धारण को अंतिम रूप देने की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग के अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित समय सीमा का पालन किया जा रहा है।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों, अंतिम रूप दिए गए मामलों और सृजित अतिरिक्त कर मांग के ब्यौरे **तालिका-1.6** में दिए गए हैं।

तालिका-1.6: कर अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व के शीर्ष	31 मार्च 2017 को लंबित मामले	2017-18 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जांच पूरी हो गई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग भी उठाई गई			31 मार्च 2018 को अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामले
					मामलों की संख्या	मांग की राशि	वसूल की गई राशि	
1.	बिक्री कर/ वैट	206	1,184	1,390	1,170	12.24	0.55	220
2.	यात्री कर	शून्य	414	414	414	0.03	0.03	शून्य
3.	चुंगी कर	शून्य	330	330	330	0.36	0.36	शून्य
	कुल	**206**	**1,928**	**2,134**	**1,914**	**12.63**	**0.94**	**220**

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

वर्ष 2017-18 के दौरान 1,914 मामलों में उठाई गई ₹12.63 करोड़ की कुल माँग के प्रति ₹0.94 करोड़ की राशि वसूल की गई जो कि कुल वसूली योग्य राशि का केवल 7.44 प्रतिशत है। वसूली की धीमी गति के कारणों को विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया (मार्च 2019)।

1.5 प्रतिदाय मामलों का लंबन

विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित वर्ष 2017-18 के आंरभ में लंबित प्रतिदाय मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदायों की अनुमति और वर्ष 2017-18 के अंत में लंबित मामलों की संख्या **तालिका-1.7** में दी गई है।

तालिका-1.7: प्रतिदाय मामलों के लंबन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बिक्री कर/ वैट	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	8	1.93
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	7	0.83
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	8	2.01
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	7[6]	0.75

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा)

सरकार मामलों के तत्काल निपटारे के लिए प्रभावी कदम उठा सकती है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर (ए.जी.), सरकारी विभागों के लिए समय-समय पर निरीक्षण आयोजित करता है ताकि संव्यवहारों की जांच और नियमों और प्रक्रियाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण लेखांकन और अन्य रिकॉर्डों के रखरखाव को

[6] 2016-17: दो; 2017-18: पांच

सत्यापित किया जा सके। इन निरीक्षणों के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) तैयार की जाती है जिन्हें शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अगले उच्च अधिकारियों को प्रतियों के साथ निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है। कार्यालाध्यक्षों/ सरकार को आईआर में निहित टिप्पणियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, आईआर की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के अदंर दोष और चूक परिशोधित करके और महालेखाकार को रिपोर्ट के अनुपालन की सूचना देना अपेक्षित है। विभागाध्यक्षों और सरकार को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना दी जाती है।

दिसम्बर 2017 तक जारी की गई 811 आईआर से संबंधित ₹1,216.35 करोड़ मूल्य के कुल 4,111 पैराग्राफ, जून 2018 के अंत तक शेष थे जिसका विवरण **तालिका-1.8** में दिया गया है।

तालिका-1.8: लंबित निरीक्षण रिपोर्टों का विवरण

विवरण	जून 2016	जून 2017	जून 2018
निपटान के लिए लंबित आईआर की संख्या	711	775	811
शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	3,400	3,875	4,111
शामिल राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	1,276.83	1,176.45	1,216.35

30 जून 2018 तक बकाया आईआर और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के विभाग-वार विवरण और वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन, कानून और परिवहन विभाग (राजस्व क्षेत्र) के संबंध में शामिल राशियाँ **तालिका-1.9** में उल्लिखित हैं।

तालिका–1.9: निरीक्षण रिपोर्ट/ लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	शेष आईआर की संख्या	शेष लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	शामिल धन मूल्य
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	503	3,044	1,002.30
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	राज्य उत्पाद शुल्क	152	376	119.98
3.	मोटर वाहन	मोटर वाहन पर कर	107	414	83.08
4.	कानून	स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क	49	277	10.99
कुल			**811**	**4,111**	**1,216.35**

2017-18 के दौरान जारी की गई 89 आईआर में से केवल चार आईआर के संबंध में कार्यालयों के प्रमुख से जवाब प्राप्त हुए थे। यह इस तथ्य का सूचक है कि आईआर में इंगित किए गए दोषों, चूक और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्यालयों और विभागों के प्रमुखों ने कार्रवाई शुरू नहीं की। इसके अलावा, कर राजस्व (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन और कानून विभागों) से संबंधित

लंबित आपत्तियों की चर्चा के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को (क) लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और निर्धारित समय में महालेखाकार को जवाब भेजने चाहिए (ख) विभागों को लेखापरीक्षा समितियों का गठन करने, इसकी बैठक आयोजित करने और पैराग्राफों के निपटान की प्रगति की निगरानी करने की सलाह देनी चाहिए।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 मार्च 2018 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत वित्त (वाणिज्यिक कर), राज्य उत्पाद शुल्क, कानून (स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण), परिवहन (मोटर वाहन) विभागों के निरीक्षण रिपोर्ट की संक्षिप्त स्थिति, इन रिपोर्टों में शामिल पैराग्राफ और उनकी स्थिति को निम्नलिखित **तालिका-1.10** में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका-1.10: निरीक्षण रिपोर्टों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	आदि शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान मंजूरी			वर्ष के दौरान अंत शेष			मंजूर पैराग्राफों का प्रतिशत
		आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य	आई आर	पैराग्राफ	धन का मूल्य	
1.	2013-14	575	2,472	1,023.77	56	515	180.29	14	157	15.77	617	2,830	1,188.29	5
2.	2014-15	617	2,830	1,188.29	59	553	67.00	08	194	24.93	668	3,189	1,230.36	6
3.	2015-16	668	3,189	1,230.36	70	494	76.86	07	140	25.90	731	3,543	1,281.32	4
4.	2016-17	731	3,543	1,281.32	51	403	329.16	28	237	424.04	754	3,709	1,186.44	6
5.	2017-18	754	3,709	1,186.44	89	767	173.79	09	110	41.24	834	4,366	1,318.99	2

प्रत्येक वर्ष के अंत में लेखापरीक्षा पैराग्राफों की मंजूरी और निपटान बहुत कम था, जो लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफ की कुल संख्या के दो प्रतिशत और छह प्रतिशत के बीच था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अधिशासी कार्रवाई पर निस्तेज दृष्टिकोण जवाबदेही को कमजोर करता है और राजस्व की परिहार्य हानि के जोखिम को बढ़ाता है। लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या में निरंतर वृद्धि सरकार का ध्यान आकर्षित करती है ताकि प्रत्येक विभाग में लेखापरीक्षा समितियों के गठन सहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन और निपटान की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा हेतु प्रभावी तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

1.8.1 कार्रवाई टिप्पणियों का अप्रस्तुतीकरण

राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने जून 1997 में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में छपे सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर स्व-

प्रेरणा से कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) लोक लेखा समिति (पीएसी) को प्रस्तुत करें, चाहे उन पर समिति द्वारा चर्चा की गई हो या नहीं। इन एटीएन को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधिवत जांच के बाद समिति को प्रस्तुत किया जाना होता है।

यह देखा गया था कि वर्ष 2000-01 से वर्ष 2015-16 तक राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्यायों में शामिल 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफ में से 88 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्व प्रेरणा से एटीएन 30 सितंबर 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

1.8.2 पीएसी की सिफ़ारिशों पर कृत कार्रवाई

पीएसी द्वारा चर्चा किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में की गई टिप्पणियों/ सिफारिशों पर, कृत कार्रवाई टिप्पणियों की महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा यथावत जांच के बाद ऐसी टिप्पणियों/ सिफारिशों की तारीख से छह महीने के अंदर समिति को प्रस्तुत करना होता है। 2000-01 से 2015-16 तक के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राजस्व क्षेत्र में शामिल 110 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से केवल 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर 30 सितंबर 2018 तक पीएसी द्वारा चर्चा की गई है। पीएसी द्वारा आंशिक रूप से चर्चा किए गए 12 पैराग्राफों सहित 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के संबंध में सिफारिशें की गई हैं, हालांकि, समिति की सिफारिशों पर एटीएन 13 पैराग्राफों के संबंध में राज्य सरकार से लंबित है।

1.8.3 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों की स्थिति, विभाग द्वारा स्वीकार की गई और वसूल की गई राशि **तालिका-1.11**: में उल्लिखित है।

तालिका-1.11: पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफ

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों का धन मूल्य	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत पैराग्राफों का धन मूल्य	वर्ष 2017-18 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2018 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2012-13	6	244.53	6	244.53	शून्य	0.10
2013-14	5	9.28	5	1.11	शून्य	0.04
2014-15	4	0.76	4	0.76	शून्य	0.10
2015-16	7	124.10	6	88.76	शून्य	0.07
2016-17[7]	8	2.14	8	2.14	शून्य	0.20
कुल	**30**	**380.81**	**29**	**337.30**		**0.51**

[7] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 को राज्य विधानमंडल में अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 में शामिल पैराग्राफों के संबंध में, विभाग/ सरकार ने ₹337.30 करोड़ मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया, जिनमें से वर्ष 2017-18 तक केवल ₹0.51 करोड़ की वसूली की गई, जो कि स्वीकृत राशि का केवल 0.15 प्रतिशत है। विभाग स्वीकृत मामलों में शामिल देयताओं की वसूली को आगे बढ़ाने और निगरानी करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पिछली प्रवृतियों और अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व और कर प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग की रिपोर्ट (राज्य और केंद्र), कराधान सुधार समिति को सिफारिशें, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और पिछले वर्षों के दौरान इसका प्रभाव, शामिल होते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन और कानून विभागों) की 402 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं, जिनमें से 108 (27 प्रतिशत) इकाइयों के लिए योजना बनाई गई थी और 94 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान वाणिज्यिक कर (बिक्री कर/ वैट), राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन और कानून विभागों की 402 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 94 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 33,237 मामलों में कुल ₹377.77 करोड़ के अवनिर्धारण/ कर अपवंचन/ इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति आदि का पता चला। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों को 97 मामलों में शामिल ₹2.22 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियां स्वीकार की है, जो वर्ष 2017-18 और उससे पहले के वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में बताई गई थी। विभागों ने पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 19 मामलों में ₹53.38 लाख एकत्र/ वसूल किए। स्वीकृत वसूलियों के इकाई-वार विवरण ***परिशिष्ट-1.1.1*** में वर्णित हैं।

1.11 राजस्व अध्याय की कवरेज

इस प्रतिवेदन में 'वाहनों पर करों का अधिरोपण और संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है, और आठ पैराग्राफों में ₹186.62 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है, जो 'माल और सेवा कर में अंतरण की तैयारी', (खरीद और बिक्री को छुपाने के कारण कर का कम उदग्रहण, और गलत वर्गीकरण) इनपुट कर क्रेडिट की गलत अनुमति, स्टाम्प शुल्क/ पंजीकरण शुल्क की कम उगाही और गलत दरों के उपयोग आदि से संबंधित है। विभागों/ सरकार ने ₹178.34 करोड़ मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया है, जिनमें से ₹15.80 लाख की वसूली की जा चुकी है।